



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937

No. 1569]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

का.आ. 2046(अ).--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव मन्त्रि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य कहा गया है) तेलगांवा के वारेंगल और करीम नगर जिले में 17° 50 उ. से 18° 40 उ. और 72° 30 पूर्व से 80° 40 पूर्व के बीच स्थित है और यह 806.15 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य में विविध जैविक वनस्पति और जन्तुवर्ग, विभिन्न भौगोलिक संरचनाएँ और संपन्न संस्कृतिक विरासत है तथा सामान्यतः पायी जाने वाली वृक्षों कि प्रजातियाँ टरमिनालिया टोमनटोसा, एनोजिसोसियर्स लनीफोलिया,

बोसिवैलिया सैरिरेटका, डपिसापैयरोस गेलगोस्लोन, स्टेरकोलिया यूरेन्स, मधुका इंडिका, डलवेरिजिया पेगटीकूलेटा, ओडिना वोडियर, आलिवा डोलाबिराफोरगिस, क्लोरोजिलोग सुरिनिया, लगारस्ट्रोनिथा परविफ्लोरा, किलिस्तगतूस क्लोनियस, सोयामिदा फेबरीफूगा, टरमिनालिया बालारिका, टरमिनालिया चेहबूयाल और आकाकिया सूबदरा हैं ;

और, जहाँ इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य बहुत सी संकटापन्न प्रजातियाँ जैसे बाघ, भारतीय गौर, पैंथर, लियोपार्ड कैट, रलोथ बियर, हियना, जंगली कुत्ता, वोल्फ, जैकाल, लोमड़ी, सांभर, वीतल, चार सींग एंटीलोप, चिंकारा, नीलगाय, पैथन, जाइंट स्कौरल, फैलंग स्कौरल;

और, अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिमकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी मंक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य के इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 1281.7 वर्ग कि.मी. में तेलंगाना में वारंगल और करीम नगर जिलों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत वारंगल जिले में चार मंडलों अर्थात् इटूनगरम, ताडवाई, मैगापट, गोंविदागावपट तथा करीम नगर जिले में तीन मंडल अर्थात् महामुत्तारम, भूपल्ली और चिंताकली के ग्राम आते हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार इटूनगरम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर तक है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है तथा ग्रामों की सूची निदेशांकों के साथ इस अधिसूचना के उपाबंध-II में दी गई है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र प्रमुख बिंदुओं के निदेशांकों के साथ उपाबंध-III पर उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना --(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में राक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

- (ix) मिंचाई ; और
(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, नहरों और निकासी संकर्मों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों या संकर्मों का ऐसा उपयोग तत्समय प्रवृत्त किमी विधि के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन प्रतिषिद्ध न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आगमगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान मड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अतुल्य कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक स्रोत .- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप, जो कि इस क्षेत्र को हानि पहुँचा सकते हैं, प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन .- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप है के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना तेलंगाना सरकार पर्यटन विभाग, द्वारा राजस्व और वन विभाग, तेलंगाना सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें मंगक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट .- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किमी पर्यावरणीय स्वीकृत गति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन .- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के राक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किमी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों तथा उनके तहत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट गति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां ग्रहों के सनिर्माण या मरम्मत के लिए पृथ्वी की खुदाई या देशी टाइलो के विनिर्माण या व्यक्तिगत उपायों के लिए आवास के लिए ईंटों के संदर्भ में वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।

2.	आग मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आग मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किमी परिमंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या मतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।

विनियमित क्रियाकलाप

10.	होटलों और रिमोटों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाय अग्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिमोटों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परन्तु 1 किलोमीटर से अधिक तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप अथवा विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटक महायोजना तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के निष्चित के साथ होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किमी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा । (ग) 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक मद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण कार्यकलापों को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा । (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना में विहित का अनुसरण किया जाएगा ।

13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भू-जल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में वाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चरण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुमेय होंगे।
23.	वन उत्पादों और गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धन किए जा रहे कार्यकलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सोलर लाइट इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, वारेंगल	—अध्यक्ष
(ख)	कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, करीम नगर का प्रतिनिधि	—सदस्य
(ग)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	—सदस्य
(घ)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ङ)	प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	—सदस्य
(च)	प्रभागीय वन अधिकारी, वारंगल (उत्तर) प्रभाग	—सदस्य
(छ)	प्रभागीय वन अधिकारी, वन्य जीव प्रबंधन प्रभाग, वारेंगल	—सदस्य-सचिव

निदेश निबंधन -

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र के वन का उप संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/49/2014-ईएमजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

स्टेशन 01 से स्टेशन 26 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की पूर्वी तरफ सीमा है और सीमा वारेंगल जिले के गोदावरी तट के साथ जाती है।

- स्टेशन 27 से स्टेशन 32 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वारेंगल जिले में दक्षिण पूर्व दिशा में सीमा है।
- स्टेशन 33 से स्टेशन 49 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वारेंगल जिले में दक्षिण दिशा में सीमा है।
- स्टेशन 50 से स्टेशन 70 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वारेंगल जिले में पश्चिम दिशा में सीमा है।
- स्टेशन 71 से स्टेशन 79 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की पश्चिम दिशा में सीमा है और यह क्षेत्र करीम नगर जिले के करीम नगर पूर्वी प्रभाग का है।
- स्टेशन 80 से स्टेशन 83 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की उत्तर दिशा में सीमा है और यह क्षेत्र करीम नगर जिले के करीम नगर पूर्वी प्रभाग का है।

उपाबंध - II

वारेंगल जिले में प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	वारेंगल	इटूनगरम	अक्रवपल्ली		
			अकुलवरी	18.321888°	80.417390°
			बुतरम	18.350100°	80.405196°
			बुतैगुडेम	18.501215°	80.344081°
			चिन्तगुडेम	18.478277°	80.354519°
			देवदुला	18.564704°	80.377636°
			एक्केला	18.336803°	80.411900°
			एतुरू	18.463803°	80.377996°
			एतुरूणगरम	18.340090°	80.428684°
			गुरिरेवेला	18.523227°	80.342430°
			कन्नैपल्ली	18.521556°	80.342751°
			कोटौर	18.495028°	80.339531°
			कोटुरू	18.557423°	80.370768°
			लक्ष्मीपुरम	18.554823°	80.369750°


			मुल्लिकोटा	18.408931°	80.444280°
			मुप्पनपल्ली	18.511225°	80.349125°
			राजनपेटा	18.550149°	80.367516°
			रमन्नागुडेम	18.321657°	80.453449°
			रामपुर	18.436431°	80.443653°
			रॉयूर	18.383663°	80.428937°
			मर्वल	18.491813°	80.327899°
			सिंगरम	18.470801°	80.373546°
2		गोविंदरावपट	वय्यक्कपेट	18.346371°	80.137378°
			चलवै	18.206326°	80.099227°
			दुव्वगुडेम	18.196395°	80.102404°
			दुमपेलागुदा	18.173101°	80.124067°
			गोविंदराओपेटा	18.197033°	80.129222°
			कर्लापल्ले	18.144623°	80.148228°
			लक्ष्मीपुरम	18.157387°	80.148648°
			मोद्दुलगुडेम	18.169932°	80.161334°
			पापय्यापल्ली	18.173465°	80.141818°
			पर्सा	18.192046°	80.166243°
			पसरंगरम	18.189367°	80.174762°
			पता बुस्सपुर	18.177875°	80.077842°
2	वारेंगल	गोविंदरावपट	प्रोजेक्ट नगर	18.247666°	80.192235°
			रघवपत्तनम	18.210398°	80.158057°
			रंगापुर	18.221970°	80.141345°
			सोमगद्दा	18.219214°	80.123002°
			विप्पलगद्दा	18.218968°	80.155698°
3		मंगापट	वेस्टगुडेम	18.218219°	80.575128°
			बुच्चंपेटा	18.210505°	80.510532°
			गुंडेनगुडेम	18.252571°	80.507419°
			जबंगुडेम	18.224264°	80.500892°
			कमलपुरम	18.268115°	80.484333°
			कोमतिपल्ली	18.216437°	80.480536°
			मल्लुरू	18.219910°	80.556838°
			मंगपेट	18.252017°	80.516720°
			मोटलगुडेम	18.199663°	80.554615°
			नर्सेगुडेम	18.184720°	80.493896°
			नर्सेपुरम	18.246679°	80.523170°
			नर्सेपुरम	18.246679°	80.523170°
			नरसिम्हा सगर	18.177239°	80.537436°
			तिम्मपेटा	18.219158°	80.531809°
			टोंद्याला	18.222705°	80.469793°

4	ताड़वाई	अंकम्पली	18.121210°	80.405212°
		बीरेली	18.101022°	80.432648°
		दमरवाई	18.168593°	80.410236°
		एल्बका	18.299538°	80.218255°
		एलापुरम	18.187338°	80.359692°
		गंगरम	18.183423°	80.375761°
		गोनेपली	18.269597°	80.220402°
		कलवपली	18.348855°	80.187737°
		कतापुर	18.163783°	80.397836°
		लव्वाल	18.179584°	80.263561°
		मेदारम	18.319773°	80.243328°
		नार्लपुर	18.309684°	80.204629°
		ऊरत्तम	18.340000°	80.234896°
		पदिगपुर	18.302758°	80.214626°
		बंगलपुर	18.275578°	80.205874°

जिला करीम नगर

क्रम संख्या	जिले का नाम	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	करीमनगर	महामुत्तरम	सिंगरम	80.1853	18.3936
			बोरलगुडेम	80.1278	18.4871
			कनकुनूर	80.1847	18.536
			रेडीपल्ले	80.1768	18.4942
			सिंगम्पली	80.2002	18.5843
2		चिंताकनी	यतनरम	80.1477	18.6574
			नीलम्पली	80.2971	18.6574
			मोदरपदू	-	-
			भंदरिगुडेम	-	-
			कुक्कुनूरू	-	-
3		भूपलपली	पन्दीपम्पुला	-	-

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का अक्षांश - देशांतर के साथ मीमा का मानचित्र



आई डी	अक्षांश	देशांतर	आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	80.31464	18.67727	43	80.22393	18.11353
2	80.36022	18.58443	44	80.20876	18.11525
3	80.37081	18.59612	45	80.19083	18.11663
4	80.38449	18.59850	46	80.18187	18.11698
5	80.39163	18.58125	47	80.16325	18.12077
6	80.38925	18.56102	48	80.14739	18.12732
7	80.37617	18.53961	49	80.12567	18.14214
8	80.36427	18.52117	50	80.11292	18.15973
9	80.36962	18.49559	51	80.10430	18.17248
10	80.38212	18.46822	52	80.09913	18.19248
11	80.39937	18.45573	53	80.09499	18.21109
12	80.42197	18.45692	54	80.09396	18.21609
13	80.44279	18.44859	55	80.09292	18.23160
14	80.45231	18.43432	56	80.09637	18.25022
15	80.45647	18.40874	57	80.09913	18.26642
16	80.44874	18.37364	58	80.10671	18.27918
17	80.43863	18.36353	59	80.11154	18.29124
18	80.44160	18.33616	60	80.11671	18.29917
19	80.45766	18.32189	61	80.10844	18.31176
20	80.47491	18.30047	62	80.10189	18.32313
21	80.49098	18.28263	63	80.09775	18.33623
22	80.50168	18.26418	64	80.09534	18.35054
23	80.52131	18.26300	65	80.09292	18.36226
24	80.53500	18.25467	66	80.09672	18.37777
25	80.55820	18.24336	67	80.10051	18.39432
26	80.57485	18.23325	68	80.10844	18.40863
27	80.57366	18.21600	69	80.11706	18.42035
28	80.56771	18.18923	70	80.12912	18.43172
29	80.54749	18.16068	71	80.13188	18.44517
30	80.53032	18.15007	72	80.13222	18.46189
31	80.52603	18.13373	73	80.13291	18.47913
32	80.50541	18.10412	74	80.13567	18.53601
33	80.47490	18.08519	75	80.13636	18.55669
34	80.44760	18.07716	76	80.14395	18.58755
35	80.41280	18.07770	77	80.15842	18.60961
36	80.38443	18.08252	78	80.17842	18.63029
37	80.37051	18.08894	79	80.19738	18.64288

38	80.33304	18.09590	80	80.21600	18.65667
39	80.30841	18.10875	81	80.23703	18.66666
40	80.28433	18.10714	82	80.25668	18.67252
41	80.26880	18.10500	83	80.27977	18.67356
42	80.24150	18.10982			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश व्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिमूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश ।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। व्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

S.O. 2046(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Eturnagaram wildlife sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary) lies between Latitude 17° 50' N to 18° 40' N and Longitude 79° 30' E to 80° 40' E part of Warāngal and Karimnagar district of Telangana and extends over an area of 806.15 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has biological diverse Flora and Fauna varied geological formations and rich cultural heritage and the plant species commonly found in the Sanctuary are *Terminalia Tomentosa*, *Anogeissus latifolia*, *Boswellia serrata*, *Diospyros melanoxylon*, *Sterculia urens*, *Maduca indica*, *Dalbergia panticulata*, *Odina wodier*, *Xylia dolabriformis*, *Chloroxylon swietenia*, *Lagerstronia parviflora*, *Cleistanthus collinus*, *Soymida febrifuga*, *Terminalia ballerica*, *Terminalia chebual* and *Acacia subdra*.

AND WHEREAS, Eturnagaram Wildlife Sanctuary harbours many endangered species like Tiger, Indian Gaur, Panther, Leopard cat, Sloth Bear, Hyena, Wild dogs, Wolf, Jackal, Fox, Sambar, Cheetal, Four-horned antelope, Chinkara, Neelgai, Python, Giant Squirrel, Flying Squirrel;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Eturnagaram Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries, and their operations or processes in the said Eco-sensitive zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and Sub-Section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto ten Kilometers from the boundary of Eturnagaram Wildlife Sanctuary in the state of Telangana as the Eturnagaram Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1281.7 square kilometer in Warangal and Karimnagar District of Telangana and includes certain villages of 4 Mandals viz. Eturnagaram, Tadvai, Mangapet, Govindaraopet in Warangal District and 3 mandals viz. Mahamuttaram, Bhupally and Chintakani of Karimnagar District.

- (2) The extent of Eco-sensitive Zone is upto ten kilometers from the boundary of Eturnagaram Wildlife Sanctuary.
- (3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure I** and the list of villages along with co-ordinates are given in **Annexure-II** to this notification.
- (4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with coordinates of prominent points is appended as **Annexure III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Municipal,
 - (vi) Revenue,
 - (vii) Agriculture,
 - (ix) State Pollution Control Board,

(x) Irrigation,

(xi) Public Works Department

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.**— Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) the activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Telangana in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Telangana.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such, as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries may continue unless prohibited under any land for the time being in force.

(b) Establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

3231 517 15-5

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries shall be permitted in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:

		<p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p> <p>(d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan</p>
12.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p> <p>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.

26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc. to be promoted

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, the following namely:-

- a. Collector and District Magistrate, Warangal — Chairman.
- b. Representative of Collector and District Magistrate, Karimnagar — Member
- c. One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case — Member.
- d. one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case — Member
- e. Regional Officer, State Pollution Control Board — Member
- f. Divisional Forest Officer, Warangal (North) Division — Member
- g. Divisional Forest Officer, wildlife Management Division, Warangal. — Member Secretary

Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/49/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure IBoundary description of Eco-Sensitive Zone:

- From Station 01 to 26 is the boundary of the Eco-Sensitive Zone in the east side, and the boundary runs along the Godavari River Bank of Warangal District.
- From Station No. 27 to 32 is the Boundary of the Eco-Sensitive Zone in the Southeast direction of the Warangal District.
- From Station No. 33 to 49 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the South Direction of the Warangal District.
- From Station No. 50 to 70 is the Boundary of the Eco-Sensitive Zone in the West direction of the Warangal District.
- From Station No. 71 to 79 is the Boundary of the Eco-Sensitive Zone in the West Direction, and the area belongs to the Karimnagar East Division of Karimnagar District.
- From Station No. 80 to 83 is the Boundary of the Eco-Sensitive Zone in the North direction, and the area belongs to the Karimnagar East Division of Karimnagar District.

Annexure IIList of Villages falling within the proposed Eco sensitive ZoneDistrict Warangal

Sl.No.	Name of the District	Name of the Mandal	Name of the Village	Lat	Long
1	Warangal	Eturnagaram	Akravapalli		
			Akulavari	18.321888°	80.417390°
			Butaram	18.350100°	80.405196°
			Buttaigudem	18.501215°	80.344081°
			Chintagudem	18.478277°	80.354519°
			Devadula	18.564704°	80.377636°
			Ekkela	18.336803°	80.411900°
			Eturu	18.463803°	80.377996°
			Eturnagaram	18.340090°	80.428684°

		Gurirevela	18.523227°	80.342430°
		Kannaipalli	18.521556°	80.342751°
		Kottor	18.495028°	80.339531°
		Kotturu	18.557423°	80.370768°
		Lakshmipuram	18.554823°	80.369750°
		Mullikota	18.408931°	80.444280°
		Muppanapalli	18.511225°	80.349125°
		Rajanapeta	18.550149°	80.367516°
		Ramannagudem	18.321657°	80.453449°
		Rampur	18.436431°	80.443653°
		Royur	18.383663°	80.428937°
		Sarval	18.491813°	80.327899°
		Singaram	18.470801°	80.373546°
2	Govindaraopet	Bayyakkapet	18.346371°	80.137378°
		Chalvai	18.206326°	80.099227°
		Dubbagudem	18.196395°	80.102404°
		Dumpellaguda	18.173101°	80.124067°
		Govindaraopeta	18.197033°	80.129222°
		Karlapalle	18.144623°	80.148228°
		Lakshmipuram	18.157387°	80.148648°
		Moddulagudem	18.169932°	80.161334°
		Papayyapalli	18.173465°	80.141818°
		Parsa	18.192046°	80.166243°
		Pasrangaram	18.189367°	80.174762°
		Pata Bussapur	18.177875°	80.077842°
		Project Nagar	18.247666°	80.192235°
		Raghavapattanam	18.210398°	80.158057°
		Rangapur	18.221970°	80.141345°
		Somagadda	18.219214°	80.123002°
		Vippalagadda	18.218968°	80.155698°
3	Mangapet	Bestagudem	18.218219°	80.575128°
		Buchchampeta	18.210505°	80.510532°
		Gundenagudem	18.252571°	80.507419°
		Jabangudem	18.224264°	80.500892°
		Kamalapuram	18.268115°	80.484333°
		Komatipalli	18.216437°	80.480536°
		Malluru	18.219910°	80.556838°
		Mangapet	18.252017°	80.516720°
		Motlagudem	18.199663°	80.554615°
		Narsaigudem	18.184720°	80.493896°


			Narsapuram	18.246679°	80.523170°
			Narsapuram	18.246679°	80.523170°
			Narsimha Sagar	18.177239°	80.537436°
			Timmappeta	18.219158°	80.531809°
			Tondyala	18.222705°	80.469793°
4	Tadvai		Ankampally	18.121210°	80.405212°
			Beerelli	18.101022°	80.432648°
			Damaravai	18.168593°	80.410236°
			Elbaka	18.299538°	80.218255°
			Ellapuram	18.187338°	80.359692°
			Gangaram	18.183423°	80.375761°
			Gonepally	18.269597°	80.220402°
			Kalvapally	18.348855°	80.187737°
			Katapur	18.163783°	80.397836°
			Lawwal	18.179584°	80.263561°
			Medaram	18.319773°	80.243328°
			Narlapur	18.309684°	80.204629°
			Oorattam	18.340000°	80.234896°
			Padigapur	18.302758°	80.214626°
			Vangalapur	18.275578°	80.205874°

District Karimnagar

Sl.No.	Name of the District	Name of the Mandal	Name of the Village	Latitude	Longitude
1	Karimnagar	Maha Mutharam	Singaram	80.1853	18.3936
			Borlagudem	80.1278	18.4871
			Kanakunur	80.1847	18.536
			Reddypalle	80.1768	18.4942
			Singampally	80.2002	18.5843
2		Chintakani	Yatanaram	80.1477	18.6574
			Neelampally	80.2971	18.6574
			Modarapadu	-	-
			Bhandarigudem	-	-
			kukkunuru	-	-
3		bhupalpally	pandipampula	-	-

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes --longitudes



ID	Longitude	latitude	ID	Longitude	latitude
1	80.31464	18.67727	43	80.22393	18.11353
2	80.36022	18.58443	44	80.20876	18.11525
3	80.37081	18.59612	45	80.19083	18.11663
4	80.38449	18.59850	46	80.18187	18.11698
5	80.39163	18.58125	47	80.16325	18.12077
6	80.38925	18.56102	48	80.14739	18.12732
7	80.37617	18.53961	49	80.12567	18.14214
8	80.36427	18.52117	50	80.11292	18.15973
9	80.36962	18.49559	51	80.10430	18.17248
10	80.38212	18.46822	52	80.09913	18.19248
11	80.39937	18.45573	53	80.09499	18.21109
12	80.42197	18.45692	54	80.09396	18.21609
13	80.44279	18.44859	55	80.09292	18.23160
14	80.45231	18.43432	56	80.09637	18.25022
15	80.45647	18.40874	57	80.09913	18.26642
16	80.44874	18.37364	58	80.10671	18.27918
17	80.43863	18.36353	59	80.11154	18.29124
18	80.44160	18.33616	60	80.11671	18.29917
19	80.45766	18.32189	61	80.10844	18.31176
20	80.47491	18.30047	62	80.10189	18.32313
21	80.49098	18.28263	63	80.09775	18.33623
22	80.50168	18.26418	64	80.09534	18.35054
23	80.52131	18.26300	65	80.09292	18.36226
24	80.53500	18.25467	66	80.09672	18.37777
25	80.55820	18.24336	67	80.10051	18.39432
26	80.57485	18.23325	68	80.10844	18.40863
27	80.57366	18.21600	69	80.11706	18.42035
28	80.56771	18.18923	70	80.12912	18.43172
29	80.54749	18.16068	71	80.13188	18.44517
30	80.53032	18.15007	72	80.13222	18.46189
31	80.52603	18.13373	73	80.13291	18.47913
32	80.50541	18.10412	74	80.13567	18.53601
33	80.47490	18.08519	75	80.13636	18.55669
34	80.44760	18.07716	76	80.14395	18.58755
35	80.41280	18.07770	77	80.15842	18.60961
36	80.38443	18.08252	78	80.17842	18.63029
37	80.37051	18.08894	79	80.19738	18.64288
38	80.33304	18.09590	80	80.21600	18.65667
39	80.30841	18.10875	81	80.23703	18.66666
40	80.28433	18.10714	82	80.25668	18.67252
41	80.26880	18.10500	83	80.27977	18.67356
42	80.24150	18.10982			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.